अध्याय 20

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन

इस अध्याय में आप सीखेंगे किः

- आन्दोलन का उद्भव और विकास कैसे हुआ, और किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने विभिन्न चरणों में और अपनी नीतियों में किस प्रकार परिवर्तन किए, जिससे वह संगठन जो कभी ब्रिटिश सरकार के सेफ्टीवॉल्व के लिए था वहीं भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ने में मद्द साबित हुआ।
- बंगाल बिभाजन के कारण, स्वदेशी आन्दोलन का प्रारम्भ, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और दिल्ली दरबार ने किस प्रकार तत्कालीन ब्रिटिश शासन को प्रभावित किया।
- भारत व विदेश में क्रांतिकारी आन्दोलन का विस्तार कैसे हुआ, और गाँधी के भारत में आगमन से स्वतंत्रता आन्दोलन का स्वरूप कैसे बदल गया।
- स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, डाण्डी मार्च, भारत छोड़ो आन्दोलन अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने में कैसे सक्षम हुए।

भारत में राष्ट्रवाद का उद्‌भव (Emergence of Nationalism in India)

1857 ई. के पश्चात् धीरे-धीरे भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास होने लगा। इस दौर में 1857 ई. के विद्रोहियों ने भारतीय जन मानस में नायकों का स्थान प्राप्त किया तथा इसके अतिरिक्त अनेक घटनाएँ घटीं, जिनसे राष्ट्रीय भावना के विकास में सहायता मिली।

कम्पनी के स्थान पर भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, जिससे भारत में राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता स्थापित हुई। इसके अलावा भारत में प्रेस की स्थापना हुई, जिससे राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार-प्रसार तेज़ी से होने लगा। अनेक भारतीय बुद्धिजीवियों ने पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किया, जिससे उन्होंने भारतीयों को लोकतंत्र, मानवाधिकार, समानता, बन्धुत्व व स्वशासन की भावना का प्रसार किया।

सर विलियम जोन्स, मैक्समूलर जैसे विद्वानों ने अपने अनुसंधानों से प्राचीन भारतीय गौरव को पुनर्जीवित किया, जिससे भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ। स्वामी विवेकानन्द, राजा राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, ऐनी बेसेण्ट जैसे सुधारवादियों ने भारतीयों को स्वतंत्रता हेतु प्रेरित किया। स्पेन, दक्षिणी अमेरिका, यूनान, इटली आदि के आन्दोलनों ने भी भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया।

1885 ई. में कांग्रेस की स्थापना (Establishment of Congress in 1885)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय नेताओं द्वारा एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज़ अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के सहयोग द्वारा 1885 ई. में की गई। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसम्बर, 1885 को बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। आरम्भ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया।

बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता वकील एवं पत्रकार थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी। सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रान्त से थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष ब्योमेशचन्द्र बनर्जी तथा सचिव ए.ओ. ह्यूम थे।

कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जिन माँगों को पारित किया गया, उनमें प्रमुख थीं—केन्द्र तथा प्रान्तों में विधानपरिषदों का विस्तार किया जाए, उच्च

सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूर्ण अवसर प्रदान किया जाए, सैनिक खर्च में कटौती की जाए।

कांग्रेस की स्थापना से सम्बन्धित सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के जनक लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखे अपने लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। उनका मानना था कि डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी, कि भारतीय जनता में पनपता या बढ़ता असन्तोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न करे और असन्तोष की इस ज्वाला को बिना किसी खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व से सहज ही बाहर निकाला जा सके।

सेफ्टी वाल्व सिद्धान्त के प्रति उत्तर में अनेक बुद्धिजीवियों ने कांग्रेस की स्थापना तड़ित चालक के रूप में देखी, जिससे कि राजनीतिक गतिविधियों के कारण कांग्रेस आरम्भ में ही अंग्रेजी सरकार के सन्देह के पात्र न बन जाए।

उदारवादी चरण (1885–1905 ई.)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर 1885 ई. से लेकर 1804–05 ई. तक उदारवादियों का प्रभाव था। इन्हें उदारवादी या नरमपंथी इसलिए कहा जाता था, क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना तथा अपनी माँगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था।

प्रमुख उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता, मदनमोहन मालवीय, दिनशॉ वाचा आदि का नाम उल्लेखनीय है।

उदारवादी या नरमपंथी नेताओं ने अपनी माँगे मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 ई. में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। राष्ट्रवादियों की प्रारंभिक सफलता के रूप में 1886 ई. में लोक सेवा आयोग की स्थापना तथा भारत और इंग्लैण्ड में एक साथ परीक्षा कराने पर सहमति, भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेल्वी आयोग की स्थापना तथा 1892 ई. के पश्चात् परिषद् अधिनियम का पारित होना आदि को देखा जाता है। इन नेताओं ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा, कृषि बैंक की स्थापना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास की मांग सरकार के समक्ष रखी। इसके अतिरिक्त नागरिक अधिकारों के प्रति भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

आन्दोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेशचन्द्र दत्त द्वारा लिखी गई *आधुनिक भारत का इतिहास* नामक पुस्तक के कारण इसे आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग के नाम से भी जाना जाता है।

हालाँकि राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक चरण में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, किन्तु इसे पूरी तरह असफल घोषित करना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता।

तालिका 20.1: कांग्रेस—पूर्व राजनीतिक संस्थाएँ और उनके संस्थापक

संगठन	स्थापना	संस्थापक
लैण्ड होल्डर्स सोसायटी	1838 ई.	द्वारकानाथ टैगोर
ब्रिटिश इंडिया सोसायटी	1839 ई.	विलियम एडम्स
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी	1843 ई.	जॉर्ज थॉमसन
ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन	1851 ई.	राधाकान्त देव
मद्रास नेटिव एसोसिएशन	1852 ई.	गजुलू लक्ष्मी
नरसुचेट्टी बॉम्बे एसोसिएशन	1852 ई.	जगन्नाथ शंकर सेठ
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन	1866 ई.	दादाभाई नौरोजी
नेशनल इण्डियन एसोसिएशन	1867 ई.	मेरी कारपेण्टर
पूना सार्वजनिक सभा	1870 ई.	एस.एच. चिपलंकर, जी. जोशी, एम.जी. रानाडे
इण्डियन एसोसिएशन	1876 ई.	आनन्द मोहन बोस एवं एस.एन. बनर्जी
मद्रास महाजन सभा	1884 ई.	एम. वीरराघवाचारी, आनन्दचारलू
बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन	1885 ई.	फिरोजशाह मेहता, के. टी. तैलंग, बदरूद्दीन तैयबजी

उग्रवादी चरण, (1905–1919 ई.)

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में नव-राष्ट्रवाद या उग्रवादी चरण का उदय काल 1905–13 ई. तक माना जाता है। इसी समय स्वदेशी तथा क्रान्तिकारी आन्दोलन की शुरूआत हुई थी। कांग्रेस के उग्रवादी तथा अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में (लाल) लाला लाजपत राय, (बाल) बाल गंगाधर तिलक तथा (पाल) विपिन चन्द्र पाल, अरविन्द घोष का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है।

बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिन्दुत्व की भावना से की। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक ने ही दिया। तिलक ने 1893 ई. में गणपति महोत्सव और 1896 ई. में शिवाजी महोत्सव का सूत्रपात किया।

बंगवासी, केसरी और हिन्दू जैसे समाचार-पत्रों ने कांग्रेस की उदारवादी राजनीति की कड़ी आलोचना की, साथ ही कुछ अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं; जैसे—अफ्रीकी अबीसीनियाई देश द्वारा 1896 ई. में इटली को पराजित कर देना, 1905 ई. में जापान द्वारा रूस को पराजित करना आदि ने

कांग्रेस के एक गुट को देश की स्वतंत्रता के लिए अतिवादी नीति अपनाने को प्रेरित किया।

बंगाल विभाजन (1905 ई.)

19 जुलाई, 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई तथा 16 अक्टूबर, 1905 को योजना प्रभावी हो गई। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल का विभाजन करके एक नया प्रान्त बनाया, जिसमें बंगाल का ढाका, चटगाँव, राजशाही, मालदा, त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित थे। इसका नाम पूर्वी बंगाल एवं असम रखा गया। इसकी राजधानी ढाका थी।

विभाजन की घोषणा के पश्चात् 7 अगस्त, 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई। यहीं पर स्वदेशी एवं बहिष्कार आन्दोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। रवीन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर, 1905 को रक्षाबन्धन दिवस के रूप में मनाया गया।

16 अक्टूबर, 1905 का दिन सम्पूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, वन्देमातरम् गीत गया और संकल्प रूप में एक-दूसरे को राखियाँ बाँधीं। इसी समय सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने विभाजन पर कहा कि 'विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है'। वहीं गोपालकृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन के बारे में कहा था कि 'यह एक निर्मम भूल है'।

बंगाल विभाजन का विरोध–स्वदेशी एवं बहिष्कार

स्वदेशी आन्दोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैय्यद हैदर रजा एवं मद्रास में चिदम्बरम् पिल्लै ने किया था। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन (1905) में 'स्वदेशी' और 'बहिष्कार' आन्दोलन का अनुमोदन किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपालकृष्ण गोखले थे।

स्वदेशी आन्दोलन के समय लोगों का आन्दोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में अश्विनी कुमार दत्त द्वारा स्थापित स्वदेश बन्धव समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बांग्ला साहित्य के लिए यह काल स्वर्णकाल था। टैगोर ने उस समय 'आमार सोनार बांग्ला' नामक गीत लिखा, जो 1971 ई. में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना।

15 अगस्त, 1906 को सदगुरू दास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। आचार्य प्रभुल्ल राय के द्वारा बंगाल कैमिकल्स एवं फार्मास्युटिकल्स की स्थापना की गई। कला के क्षेत्र में अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने पाश्चात्य प्रभाव से बिल्कुल अलग पूर्णत: स्वदेशी पारम्परिक कला से प्रेरणा लेकर चित्रकारी शुरू की।

स्वदेशी आन्दोलन के समय पहली बार महिलाओं ने परदे से बाहर आकर धरने और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आन्दोलन से अलग रहा। 1906 ई. के कलकत्ता अधिवेशन में अतिवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करवा लिए। इस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया।

मुस्लिम लीग की स्थापना (1906)

उन्नीसवीं सदी के अंत तक भारत में राष्ट्रवाद के साथ-साथ सम्प्रदायवाद ने भी सर उठाया। मुस्लिम लीग की स्थापना का मूल उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना था और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना था। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर, 1906 को आगा खाँ के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमण्डल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिण्टो से शिमला में मिला।

मिण्टो ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि एक सम्प्रदाय के रूप में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसम्बर, 1906 को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नवाब सलीमुल्लाह ने की। इसमें मोहिसिन-उल-मुल्क, आगा खाँ तथा नवाब बाकर-उल-मुल्क उपस्थित थे जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मण्डल की माँग की, जो 1909 ई. के मार्ले-मिण्टो सुधारों के द्वारा प्रदान कर दिया गया।

कांग्रेस का सूरत अधिवेशन (1907)

1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद तथा स्वदेशी आन्दोलन को लेकर कांग्रेस के उग्रवादियों तथा उदारवादियों में मतभेद उत्पन्न हो गया। उग्रवादी जहाँ लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादियों के वर्चस्व के कारण रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। उग्रपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर देश में भी फैलाना चाहते थे, जबकि उदारवादी बहिष्कार को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। इसके अतिरिक्त उग्रवादियों को सन्देह था कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन सम्बन्धी प्रस्तावों को निरस्त किया जा सकता है। फलस्वरूप विवाद बढ़ गया तथा अशान्ति व उपद्रव के वातावरण में कांग्रेस गरमदल व नरमदल के रूप में विभाजित हो गई।

दिल्ली दरबार (1911)

दिसम्बर, 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसम्बर, 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की गई और 1 अप्रैल, 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बना दिया गया।

बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम को पुन: 1874 ई. की स्थिति में लाया गया, अब असम में सिलहट भी शामिल था। तत्कालीन वायसराय हार्डिंग जिस समय अपने

परिवार तथा ब्रिटेन के शाही राजवंश के साथ जुलूस में समारोहपूर्वक दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय उन पर बम फेंका गया, जिसमें हार्डिंग घायल हो गए। इस कार्य को बसंत विश्वास, अमीर चन्द, अवध बिहारी एवं बालमुकुन्द ने अन्जाम दिया था। बाद में इन पर दिल्ली षड्यंत्र केस नामक मुकदमा चलाकर फाँसी दे दी गई।

क्रान्तिकारी आन्दोलन का प्रथम चरण (First Phase of Revolutionary Movement)

क्रान्तिकारी आन्दोलन का उद्देश्य संवैधानिकता के साथ-साथ हिंसक कार्य भी थे। क्रान्तिकारी मानते थे कि पश्चिमी साम्राज्यवाद का अन्त पश्चिमी हिंसक तरीकों से ही संभव है। क्रांतिकारी आन्दोलन के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकुमत के दिलों में दहशत फैलाकर उन्हें भारत से भगाने की योजना के तहत आयरिश आतंकवादियों तथा रूसी निहलिस्टों के सिद्धांत पर चलने का निश्चय किया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरूआत 1897 में महाराष्ट्र से माना जाता है।

क्रान्तिकारी आन्दोलन का प्रसार

महाराष्ट्र का व्यायाम मण्डल भारत का प्रथम क्रान्तिकारी संगठन माना जाता है। इसकी स्थापना 1896-97 ई. में चापेकर बन्धुओं (दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव चापेकर) ने की थी। 22 जून, 1897 को इन्होंने पूना के प्लेग अधिकारियों रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या की।

वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था की स्थापना की। इस संस्था के मुख्य सदस्य अनन्त लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैकसन की हत्या कर दी। इस हत्याकाण्ड से जुड़े लोगों पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसमें गणेश सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली।

वर्ष 1903 में प्रभातनाथ मित्र, सतीशचन्द्र बोस, नरेन्द्र भट्टाचार्य ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अरविन्द घोष और बारीन्द्र घोष इसके सदस्य थे। बारीन्द्र घोष ने *भवानी मन्दिर* पुस्तक की रचना की जिसमें आनन्द मठ का भाव है। बारीन्द्र गुट ने क्रान्ति के प्रचार के लिए *युगान्तर* (1906 ई.) नामक पत्र निकाला जिसके प्रथम सम्पादक 'भूपेन्द्र नाथ दत्त' थे।

1908 ई. में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर के जिला जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया। लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फाँसी दे दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने मणिकतल्ला पर छापा मारकर 34 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बारीन्द्र और अरविन्द घोष भी शामिल थे। इन सब पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया।

बंगाल में बढ़ रही क्रान्तिकारियों की गतिविधियों को दबाने के लिए सरकार ने 1900 ई. में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में समाचार-पत्र अधिनियम का सहारा लिया। अरविन्द घोष कालान्तर में क्रान्तिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पाण्डिचेरी में अपना आश्रम स्थापित कर आन्दोलन से अलग हो गए।

विदेशों में क्रान्तिकारी आन्दोलन

भारत से बाहर विदेशी धरती पर सर्वप्रथम श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ई. में लंदन में इंडिया होमरूल लीग की स्थापना की एवं इण्डियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला, इन्होंने 1905 ई. में लन्दन में भारतीयों के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की, जो क्रान्ति का केन्द्र बना। लन्दन में श्यामजी कृष्ण वर्मा का विरोध हुआ और 1906 ई. में ये पेरिस चले गए।

श्यामजी कृष्ण वर्मा की पेरिस में सहयोगी मैडम भीकाजी कामा थी। मैडम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए यूरोप एवं अमेरिका में प्रचार किया और पेरिस से अंग्रेज़ी में 'वन्देमातरम्' पत्र का प्रकाशन किया। कामा ने ही 1907 ई. में स्टुटगार्ड (जर्मनी) में द्वितीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत का तिरंगा (हरा+पीला+लाल) फहराया। 1909 ई. में मदनलाल ढींगरा ने लन्दन में कर्जन वायली की हत्या की।

1907 ई. में रामानाथ पुरी ने सर्कुलर-ए-आज़ादी तथा वैंकुअर से तारकनाथ दास ने फ्री हिन्दुस्तान का प्रकाशन किया। ये समाचार-पत्र राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे भारतीय द्वारकनाथ दास ने 1907 ई. में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया।

गदर आन्दोलन (1913)

सोहन सिंह माखना ने हिन्द एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना नवम्बर, 1913 में की, इस संस्था ने कालान्तर में अंग्रेज़ी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में *एक साथ गदर या हिन्दुस्तान गदर पत्रिका* (1857 ई. के विद्रोह की स्मृति में) का प्रकाशन किया।

गदर पत्रिका के नाम पर ही हिन्द एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आन्दोलन पड़ गया। गदर आन्दोलन ने 'सॉन फ्रांसिस्को' में युगान्तर आश्रम की स्थापना की और यहीं से अपनी गतिविधियों का संचालन किया। लाला हरदयाल जो 1911 ई. से कैलिफोर्निया के स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे थे, 1913 ई. में गदर संस्था से जुड़ गए, और संस्था के मनीषी पथ-प्रदर्शक के रूप में।

इसके अतिरिक्त राजा महेन्द्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल में दिसम्बर, 1915 में अन्तरिम भारत सरकार की स्थापना की और अपनी सरकार के समर्थन हेतु लेनिन से भी मिले। इनके मंत्रिमण्डल में बरकतुल्ला (प्रधानमंत्री) मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, मथुरा सिंह, खुदाबक्श आदि नेता शामिल थे।

प्रथम विश्वयुद्ध, 1914 ई.

प्रथम विश्वयुद्ध के विस्फोट से यूरोप में महाशक्तियों के दो गुट बन गए। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, टर्की थे तो दूसरी तरफ फ्रांस, रूस और इंग्लैण्ड थे। लॉर्ड हार्डिंग (वायसराय) की बुद्धिमत्ता एवं सहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण प्रथम विश्वयुद्ध में इंग्लैण्ड को भारत का पूर्ण समर्थन मिला। प्रथम विश्वयुद्ध में इंग्लैण्ड सरकार द्वारा तुर्की (मुस्लिम) के विरुद्ध युद्ध

की घोषणा से मुस्लिम लीग का सरकार के प्रति मोह भंग हो गया। अब मुस्लिम लीग कांग्रेसी नेताओं के अधिक नज़दीक आने का प्रयास करने लगे। अजमल खाँ, मोहम्मद अली, हसन इमाम जैसे नेताओं ने मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने का आह्वान किया। राष्ट्रवादी नेता तिलक और गाँधीजी ने युद्ध के दिनों में सरकार की सहायता हेतु धन और सेना के लिए सिपाही की व्यवस्था करने के लिए गाँवों का दौरा किया।

कामागाटामारु प्रकरण (1914)

कामागाटामारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित एक विवाद था। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों का अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया, जो सीधे भारत से नहीं आते थे। भारतीय मूल के व्यापारी गुरदीप सिंह ने कामागाटामारू नामक एक जहाज़ को किराए पर लेकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। वैंकूवर तट पर पहुँचे यात्री कनाडा की पुलिस की घेराबन्दी के कारण जहाज़ से नीचे नहीं उतर सके।

यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवन्त सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी का गठन हुआ, अंग्रेज़ों ने जहाज़ को सीधे कलकत्ता आने का आदेश दिया। कामागाटामारू जहाज़ के बजबज (कलकत्ता) पहुँचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें कुछ यात्री मारे गए तथा शेष यात्रियों को जेल में डाल दिया गया।

लखनऊ पैक्ट (1916)

वर्ष 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अम्बिकाचरण मजूमदार ने की। इसमें कांग्रेस का अधिवेशन दो घटनाओं को लेकर बेहद महत्वपूर्ण रहा। ये घटनाएँ थीं-अतिवादियों का नौ वर्ष पूर्व कांग्रेस से निष्काषित कांग्रेस में पुनः प्रवेश तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक दूरगामी लखनऊ समझौता। यह समझौता कांग्रेस-लीग योजना के नाम से भी प्रसिद्ध है।

होमरूल लीग आन्दोलन

तिलक आठ वर्ष के कारावास के बाद 16 जून, 1914 को जेल से रिहा हुए। तिलक और ऐनी बेसेण्ट ने मिलकर भारत में होमरूल लीग आन्दोलन शुरू करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया। होमरूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः ऐनी बेसेण्ट द्वारा चलाई गई थी।

बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल, 1916 को पूना में होमरूल लीग की स्थापना की। तिलक के पाँच महीने बाद ऐनी बेसेण्ट ने सितम्बर, 1916 में अपनी लीग की स्थापना की, जहाँ तिलक की होमरूल लीग का कार्य-क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र (बम्बई को छोड़कर) मध्य प्रान्त तथा बरार था वहीं शेष भारत ऐनी बेसेण्ट के कार्य-क्षेत्र में था। लीग की सर्वाधिक शाखाएँ मद्रास में थीं, लेकिन लीग की सर्वाधिक सक्रियता बम्बई, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में थी।

ऐनी बेसेण्ट ने अपने पत्रों कॉमनवील और न्यू इंडिया द्वारा तथा तिलक ने अपने पत्रों मराठा (अंग्रेज़ी में) एवं केसरी (मराठी में) के माध्यम से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार किया। ऐनी बेसेण्ट ने 'जॉर्ज अरूण्डेल' को होमरूल लीग संगठन का सचिव बनाया तथा अड्यार (मद्रास) में लीग का मुख्यालय स्थापित किया। ऐनी बेसेण्ट के सहयोगियों में वी.पी. वाडिया (मजदूर नेता) तथा सी.पी. रामास्वामी अय्यर शामिल थे।

तिलक के होमरूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैपटिस्टा तथा सचिव एन.सी. केलकर थे। होमरूल लीग को अखिल भारतीय स्वरूप ऐनी बेसेण्ट ने प्रदान किया। गोपालकृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था सर्वेण्ट ऑफ इंडिया सोसायटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। होमरूल लीग आन्दोलन के बढ़ रहे प्रभाव से चिन्तित सरकार ने जून, 1917 में ऐनी बेसेण्ट, जॉर्ज अरूण्डेल, वी.पी. वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में सर एस. सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी।

20 अगस्त, 1917 को माण्टेग्यू घोषणा में भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई थी। परिणामस्वरूप 20 अगस्त, 1917 को एनी बेसेण्ट ने होमरूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। दूसरी ओर तिलक को इण्डियन अनरेस्ट के लेखक वेलेन्टाइन शिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ा, जिसके फलस्वरूप होमरूल लीग आन्दोलन नेतृत्व विहीन होकर अन्ततः समाप्त हो गया।

भारतीय राजनीति में गांधीजी का आगमन (Arrival of Gandhiji in Indian Politics)

जिस समय दक्षिण अफ्रीका से गांधीजी भारत आये उस समय प्रथम महायुद्ध का दौर चल रहा था। गांधीजी ने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की। सरकार गांधीजी को केसर-ए-हिन्द सम्मान से सम्मानित किया। वर्ष 1915 में अहमदबाद के नज़दीक साबरमती नदी किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले के विचार ने गांधीजी को सर्वाधिक प्रभावित किया, कालांतर में गांधीजी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरू बना लिया।

गाँधीजी के प्रारंभिक सत्याग्रह (Gandhiji's initial Satyagraha)

चम्पारण सत्याग्रह (1917)

बिहार के चम्पारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। यूरोपीय लोगों ने किसानों से एक अनुबन्ध करा लिया था कि वे अपने भूमि के 3/20वें (कट्ठा) हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करें। यह व्यवस्था तीन कठिया के नाम से जानी जाती थी।

1917 ई. में चम्पारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गाँधीजी से लखनऊ में मुलाकात की तथा चम्पारण की समस्याओं से अवगत कराया और चम्पारण आने का न्यौता दिया।

गाँधीजी के चम्पारण पहुँचते ही अधिकारियों द्वारा उन्हें वहाँ से वापस चले जाने का आदेश दिया गया। गाँधीजी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने मामले की जाँच के लिए एक आयोग का गठन किया तथा गाँधीजी को भी इसका सदस्य बनाया गया। इसके पश्चात् बागान मालिक (ठेकेदार) अवैध वसूली का 25% हिस्सा लौटाने को राजी हो गए। एक दशक के अन्दर बागान मालिकों ने चम्पारण छोड़ दिया।

चम्पारण में गाँधीजी के निकट सहयोगियों में ब्रिजकिशोर, राजेन्द्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जे.बी. कृपलानी आदि थे। चम्पारण सत्याग्रह के दौरान गाँधीजी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार गांधीजी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग सफल रहा।

चित्र 20.1: चम्पारण सत्याग्रह

अहमदाबाद मजदूर आन्दोलन (1918)

गाँधीजी ने सत्याग्रह का अगला प्रयोग 1918 ई. में अहमदाबाद की एक सूती मिल में किया था। यह आन्दोलन सरकारी तंत्र के विरुद्ध न होकर भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध था। यहाँ पर मालिकों एवं मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। मिल मालिकों के साथ समझौता वार्ता विफल हो जाने पर गाँधीजी ने मजदूरों को भूख हड़ताल पर जाने को कहा, इसके अतिरिक्त उन्होंने 35% बोनस की माँग रखने का प्रस्ताव दिया। मिल मालिक 20% बोनस ही देने के लिए राजी थे। लेकिन अन्तत: मजदूरों को 35% बोनस दिया गया। गांधीजी का यह प्रयोग भी सफल रहा।

खेड़ा सत्याग्रह (1918)

गुजरात का खेड़ा जिला, 1918 ई. भीषण अकाल का शिकार हुआ। इस क्षेत्र की फसलें बर्बाद हो गई। सरकार ने मालगुजारी वसूलने की प्रक्रिया को बन्द नहीं किया। इसके अतिरिक्त 23% की वृद्धि भी की, जबकि राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पाद के एक चौथाई से भी कम हो तो किसानों को राजस्व पूरी तरह माफ कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए किसानों ने आन्दोलन करना शुरू किया। गाँधीजी ने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने किसानों को राजस्व अदा न करने तथा दमनकारी नीतियों के प्रति संघर्ष करने के लिए प्रेरणा दी। यह गाँधीजी का प्रथम किसान आन्दोलन था।

खिलाफत आन्दोलन (1919)

भारतीय मुसलमान तुर्की (टर्की) के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था, युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था, कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकर ने तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए।

गाँधीजी ने खिलाफत आन्दोलन को हिन्दू-मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना। 17 अक्टूबर, 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। सितम्बर, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। नवम्बर 1919 में इसका पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ तथा गाँधीजी को इसका अध्यक्ष चुना गया।

रॉलेट सत्याग्रह, (1919)

बढ़ रही क्रान्तिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया, जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना पर कार्य करना था।

रॉलेट समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी, 1919 को केन्द्रीय विधानपरिषद् में दो विधेयक पेश किए गए, जिसमें एक विधेयक परिषद के भारतीयों सदस्यों के विरोध के बाद भी पास हो गया। यह क्रान्तिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना जाता है, जिसे तीन वर्ष की अवध के लिए 18 मार्च, 1919 को पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट की भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की।

रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको जब तक चाहे, बिना मुकदमा चलाए जेल में बन्द रख सकती थी, इसलिए इस कानून को 'बिना वकील बिना अपील, बिना दलील का कानून' कहा गया।

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड, (1919)

तत्कालीन पंजाब के एक लोकप्रिय नेता डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध-दर्शन हेतु 10 अप्रैल, 1919 को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाकार कुछ निहत्थे आंदोलनकारियों को मार दिया, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई परिणामस्वरूप 13 अप्रैल, 1919 को सेना बुलाई गई।

13 अप्रैल, 1919 को (बैशाखी के दिन) अमृतसर के जलियाँवाला बाग में गोलीकाण्ड और कुछ नेताओं जैसे—डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभास्थल चारों ओर से ऊँची-ऊँची दीवारों से घिरा था।

सभास्थल पर अंग्रेज़ जनरल डायर ने बिना कोई पूर्व चेतावनी के ही भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमे हज़ारों लोग मारे गए। हत्याकाण्ड के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने 'नाइट' की उपाधि सरकार को वापस कर दी, वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकरनायर ने भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् से त्याग-पत्र दे दिया।

दबाव बढ़नें पर सरकार ने इस हत्याकाण्ड की जाँच के लिए लॉर्ड हण्टर की अध्यक्षता में हण्टर समिति की नियुक्ति की। हण्टर समिति ने लीपा-पोती कर जनरल डायर को सिर्फ नौकरी से निकालने का सुझाव दिया, लेकिन ब्रिटेन की संसद में डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया।

असहयोग आंदोलन (1920–22)

असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गाँधीजी ने तैयार किया था, जबकि इसे सी आर दास ने पेश किया था जो कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन (1920) में पास हुआ। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव की दिसम्बर, 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई।

नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कांग्रेस ने अब केवल संवैधानिक उपायों के स्थान पर सभी शांतिमय और उचित उपाय जिसमें केवल आवेदन और अपील भेजना ही शामिल नहीं था, अपितु सरकार को कर देने से मना करने जैसी सीधी कार्यवाही भी शामिल थी, को अपनाने पर जोर दिया।

चित्र 20.2: असहयोग आन्दोलन

आंदोलन की प्रगति

1 अगस्त, 1920 को गाँधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। असहयोग आंदोलन की शुरूआत के समय ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु (1 आगस्त,1920) का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा।

कांग्रेस ने असहयोग के कार्यक्रम में 31 मार्च, 1921 को विजयताड़ा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक स्मारक के लिए स्वराजकोष के रूप में एक करोड़ रुपये एकत्र करना तथा समूचे भारत में करीब 20 लाख चरखे बँटवाने का कार्यक्रम भी शामिल कर लिया।

असहयोग आंदोलन के दौरान दो प्रकार के कार्यक्रम निश्चित किए गए। जहाँ एक ओर सरकारी शिक्षण संस्थानों, सेवाओं विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा सरकारी नौकरियों, वकालत आदि को त्यागने का निर्णय लिया गया, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी शिक्षण संस्थानों, पंच अदालतों, खादी को लोकप्रिय बनाने जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया।

इस आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ (बनारस),गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ,बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल कॉलेज लाहौर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज आदि शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई।

असहयोग आंदोलन के दौरान शराब आर ताड़ी की दुकानों पर धरना दिया गया, जिसमें सरकार को बहुत अधिक मात्र में राजस्व की हानि हुई। इस आंदोलन में विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई।

दिसम्बर, 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया, साथ ही अगले कदम के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

चौरी-चौरा काण्ड (5 फरवरी, 1922)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले मे स्थित चौरी-चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी, 1922 को एक घटना घटी। इस घटना के अतंर्गत नाराज़ भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। चौरी-चौरा की घटना से गाँधीजी इतने आहत हुए कि उन्होंने आंदोलन को तत्काल वापस लेने का निर्णय लिया। इसके पश्चात् गाँधी जी को अशांति फैलाने के आरोप में छः वर्ष के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई।

वास्तव में असहयोग आंदोलन भारत का पहला जनआंदोलन था। इसका सूत्रपात क्रांतिकारी कदम था, जिसने कांग्रेस के स्वरूप और स्वभाव में मूलभूत परिवर्तन ला दिया। कांग्रेस अब भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का माध्यम के रूप में उभरकर सामने आई। असहयोग आंदोलन अपने किसी भी घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल तो नहीं रहा, लेकिन इसकी चरम उपलब्धि तत्कालीन हानियों से अधिक थी।

राष्ट्रीय राजनीति (National Politics) (1922–29)

स्वराज पार्टी का गठन

दिसम्बर, 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सी-आर-दास को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में विधानपरिषद् में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। सी आर दास की जोरदार वकालत के बावजूद गया अधिवेशन में यह प्रस्ताव 890 के मुकाबले 1740 वोटों से अस्वीकृत हो गया। विपक्षी गुट का नेतृत्व सी राजगोपालचारी ने किया था। प्रस्ताव पारित न होने पर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस

से त्याग-पत्र दे दिया तथा मार्च, 1923 ई. में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया।

स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया तथा अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। आरंभ में स्वराज पार्टी के लक्ष्यों को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। पार्टी के संविधान में यह घोषणा की गई कि इसका तात्कालिक लक्ष्य डोमिनियन स्टेट्स की प्राप्ति है।

सितम्बर, 1923 में दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसके अन्तर्गत स्वराज दल के कार्यक्रमों को मान्यता दे दी गई। यद्यपि स्वराजियों को चुनाव का बहुत कम समय मिला, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता मिलीं। स्वराजियों को केन्द्रीय विधानसभा के 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें मिली। सेण्ट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली में स्वराजियों ने साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया।

साइमन कमीशन (1927–28)

वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम के पारित होने के दस वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इसकी प्रगति की जाँच करेगा। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल सात सदस्य क्लाइमेण्ट एटली, हेनरी लेवी लासन, एडवर्ड काडोगान, वेनोंन हार्टशोन, जॉर्ज लेन फाक्स, डोनाल्ड हावर्ड आयोग के सदस्य थे, चूँकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज़ थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहा। 8 नवम्बर, 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी। 11 दिसम्बर, 1927 को इलाहाबाद में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन में आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को न नियुक्त किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया।

27 दिसम्बर, 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एम.ए. अन्सारी ने की थी, में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी, 1928 को साइमन कमीशन (बम्बई) भारत पहुँचा। आयोग जहाँ गया वहाँ साइमन गो बैक के नारे लगाए गए।

लाहौर में लाला लाजपत राय आयोग का विरोध करने वाली एक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें इतने बर्बर तरीके से पीटा कि कुछ ही दिनों बाद लालाजी की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व लाला लाजपत राय का यह कथन ऐतिहासिक सिद्ध हुआ कि 'मेरे ऊपर जो लाठी का प्रहार किया गया है, वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी'। जनता के इस विरोध को कुचलने के लिए सरकार ने निर्मम दमन तथा पुलिस कार्यवाहियों का सहारा लिया।

नेहरू रिपोर्ट, (1928)

लॉर्ड बर्कनहेड (भारत सचिव) ने साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही राष्ट्रीय नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो देश के सभी समुदायों और वर्गों को स्वीकार हो। 19 मई, 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन बम्बई में डॉ. अन्सारी की अध्यक्षता में हुआ, उन्होंने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की एवं इसे 1 जुलाई, 1928 तक भारत के संविधान का एक मसौदा तैयार करने की ज़िम्मेदारी सौंपी।

अंततः नेहरू समिति ने 28 अगस्त, 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया। इस रिपोर्ट को 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से जाना जाता है।

मुख्य सिफारिशें

भारत को अधिराज्य (डोमिनियन) का दर्जा प्रदान किया जाए। इसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो। साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। केन्द्र तथा उन राज्यों में जहाँ मुसलमान अल्पसंख्या में हों उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित कर दिया जाए। (यह व्यवस्था वहाँ न लागू की जाए जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हों; जैसे—पंजाब, बंगाल)।

भाषायी आधार पर प्रान्तों का गठन हो। केन्द्र एवं राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। केन्द्र सरकार का प्रमुख गवर्नर-जनरल हो, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा हो, वह केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करे, जो केन्द्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। प्रान्तीय व्यवस्थापिका का कार्यकाल 5 वर्ष का हो।

भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, लेकिन अल्पसंख्यकों (मुसलमान) के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होगा। केन्द्र एवं प्रान्त में संघीय आधार पर शक्ति का विभाजन अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास हों। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोकसेवा आयोग की स्थापना की बात की गई।

सिन्ध को बम्बई से पृथक कर एक अलग प्रान्त बनाया जाए यदि समिति पद प्रस्तावित कर दे कि वह वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर है। मौलिक अधिकारों की माँग, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं वयस्क मताधिकार जैसी माँगें थीं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रान्तों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए।

नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1928 में लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मोहम्मद जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए अपने 14 सूत्री माँगों को सामने रखा। इसमें प्रमुखता से साम्प्रदायिक समूहों का निर्वाचन, पृथक निर्वाचन पद्धति से किए जाने की माँग उठाई।

कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन

दिसम्बर, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर अधिवेशन में प्रमुख पारित प्रस्ताव निम्नलिखित हैं—

इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट से घोषित, औपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य को रद्द कर दिया गया और यह ऐलान किया गया कि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा। गाँधीजी को स्वाधीनता आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए कहा गया। कांग्रेस जनों को आदेश दिया गया कि

वे भविष्य में काउन्सिल चुनावों में भाग न लें और काउन्सिल के मौजूदा सदस्य अपने पदों से त्याग-पत्र दे दें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया गया कि वह जब और जहाँ चाहे, आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ सविनय अवज्ञा तथा कर बन्दी कार्यक्रम प्रारम्भ कर दे। 26 जनवरी, 1930 को पूरे भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया।

क्रान्तिकारी आन्दोलन का द्वितीय चरण (Second Phase of Revolutionary Movement)

वर्ष 1922 में गाँधीजी द्वारा अचानक असहयोग आन्दोलन वापस लेने से देश के युवाओं में निराशा फैल गई। परिणामस्वरूप युवाओं ने रूस, चीन, आयरलैण्ड, तुर्की, मिस्र की क्रान्तियों से प्रेरित होकर ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने पुरानी संस्थाओं तथा युगान्तर, अनुशीलन समिति आदि को पुनर्जीवित किया। इस चरण की एक प्रमुख विशेषता जो इसे पिछले चरणों से भिन्न करती है, यह समाजवादी विचारधारा पर आधारित था। नए क्रान्तिकारी आतंकवादी नेताओं ने कुछ नए क्रान्तिकारी संगठनों की स्थापना की।

हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन

इस चरण में एक अखिल भारतीय संगठन तथा संगठनों के मध्य अच्छे ताल-मेल की आवश्यकता का अनुभव किया गया। अक्टूबर, 1924 में समस्त क्रान्तिकारी दलों का कानपुर में सम्मेलन बुलाया गया तथा हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना शचीन्द्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेशचन्द्र चटर्जी तथा चन्द्रशेखर आज़ाद ने की थी।

वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसका नाम बदलकर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया।

इसकी स्थापना भगत सिंह, शचीन्द्र सान्याल व चन्द्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई।

भगत सिंह तथा उनके साथियों ने क्रान्तिकारियों के समक्ष पहली बार एक क्रान्तिकारी दर्शन रखा, जिसमें यह बताया गया कि क्रान्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। वर्ष 1925 में एचआरए के घोषणा-पत्र में कहा गया कि एचआरए का उद्देश्य उन तमाम व्यवस्थाओं का उन्मूलन करना है, जिनके तहत एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करता है।

जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने के लिए भगवतीचरण बोहरा ने द फिलॉस्फी ऑफ बॉम्ब (बम का दर्शन) नामक दस्तावेज तैयार किया था। भगत सिंह ने वर्ष 1926 में भारत नौजवान सभा का गठन किया। इस संगठन के वे संस्थापक महामंत्री थे।

काकोरी काण्ड

इस संगठन के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त, 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर सम्भाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इसके पश्चात् 29 लोगों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। काकोरी षड्यंत्र काण्ड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल तथा राजेन्द्र लाहिड़ी को फाँसी दी गई।

साण्डर्स की हत्या

30 अक्टूबर, 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक साण्डर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करवाकर उन्हें घातक रूप से घायल कर दिया था। 17 दिसम्बर, 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चन्द्रशेखर आज़ाद और राजगुरू ने साण्डर्स की हत्या कर दी।

केन्द्रीय विधानसभा बम काण्ड

भगतसिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल, 1929 को केन्द्रीय विधानसभा में बम फेंके, इन्होंने पब्लिक सेफ्टि बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में बम फेंका था। जिसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। बम खाली स्थान पर फेंका गया था। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च, 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगतसिंह, सुखदेव एवं राजगुरू को फाँसी दे दी गई।

चटगांव विद्रोह

पूर्वी बंगाल में चटगाँव नामक स्थान पर मशहूर क्रान्तिकारी सूर्यसेन ने इण्डियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इसके सदस्यों में लोकीनाथ

तालिका 20.2: क्रान्तिकारी आन्दोलन से जुड़ी प्रमुख पत्र, पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें

पत्रिका/पुस्तक	लेखक/सम्पादक
युगांतर	बारींद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त
संध्या	ब्रह्मबांधव उपाध्याय
काल (लंदन)	–
फ्री हिस्दुतान (बैंकुवर)	तारकनाथ दास
बंदी जीवन	शचींद्र नाथ सान्याल
भवानी मंदिर	बारींद्र घोष भारत माता
अजीत सिंह इण्यिन सोशलिस्ट	श्याम जी कृष्ण
फिलॉस्फी ऑफ बॉम्ब	भगवती चरण बोहरा
सर्कुलर-ए-आज़ादी(उर्दू)	रामनाथ पुरी
पथेर दावी	शरत चंद्र चट्टोपाध्याय
गदर	लाला हरदयाल
न्यू इंडिया	विपिन चंद्र पाल
नवयुग	मुजफ्फर अहमद

वाउल, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त आदि शामिल थे। इस संगठन के सदस्यों ने चटगांव के शस्त्रगार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया और वहाँ तिरंगा झंडा फहरा दिया।

विद्रोह में कई क्रान्तिकारी पकड़े गए और उन पर मुकदमा दायर हुआ। सूर्यसेन 16 फरवरी, 1933 को गिरफ्तार कर लिए गए और 12 जनवरी, 1934 को इन्हें फाँसी दे दी गई। प्रीतिलता वाडेकर ने अंग्रजों से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली।

तालिका 20.3: क्रांतिकारी संस्थाएँ

संस्था	स्थान	संस्थापक
मित्र मेला	नासिक	वी डी सावरकर
अभिनव भारत	नासिक	वी डी सावरकर
अनुशीलन समिति	कलकत्ता	प्रमतनाथ मित्र, सतीश चंद्र, नरेंद्र भट्टचार्य
भारत स्वशासन समिति	लंदन	श्याम जी कृष्ण वर्मा
युगांतर	कलकत्ता	बारींद्र घोष

वामपंथी आंदोलन (Leftist Movement)

भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय आधुनिक उद्योगों के विकास, दो विश्वयुद्ध के मध्यकाल में आर्थिक मंदी में बोलशेविक क्रांति के परिणामस्वरूप हुआ था। वर्ष 1920 में मानवेंद्र नाथ राय द्वारा सर्वप्रथम ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल बनाने की घोषणा की गई। इसके अन्य सदस्यों में रोजा फिटिग्राप, मोहम्मद अली, मुहम्मद शरीफ, एम प्रतिवादी उभंयकर, अवनि मुखर्जी प्रमुख थे।

एम एन राय ने वर्ष,1922 में अवनि मुखर्जी के सहयोग से बर्लिन से बैनगार्ड ऑफ इण्डियन इण्डिपेण्डेण्स तथा इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्र निकाले। बैनगार्ड ऑफ इण्यिन इण्डिपेण्डेण्स भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला पत्र था। बाद में इसका नाम एडवांस गार्ड कर दिया गया।

प्रथम चरण

इस काल में साम्यवादी दल ने तीन षड्यंत्रों से संबंधित होने के कारण ध्यान आकर्षित किया।

पेशावर षड्यंत्र केस (1922–23)

मास्को की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षित 10 भारतीयों को भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को संगठित करने के लिए भारत भेजा गया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया एवं पेशावर में उन पर मुकदमा चला। यह मुकदमा वर्ष, 1922-23 के पेशावर षड्यंत्र के केस नाम से प्रसिद्ध है।

कानपुर षड्यंत्र केस (1924)

वर्ष 1921 में नलिनी गुप्त तथा अवनी मुखर्जी रूस से भारत लौटी। ये दोनों बंगाल आंतकवादी दल की सदस्या थीं । ब्रिटिश सरकार ने 21 फरवरी,1924 को कानपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया। सरकार ने इन पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं जिसका उद्देश्य भारत मे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करना है।

मेरठ षड्यंत्र केस (1929–33)

कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1928-29 में जन सुरक्षा कानून, ह्निटले कमीशन, ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा मेरठ षड्यंत्र केस का सहारा लिया। वर्ष 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस में कुल 22 लोगों का मुकदमा चला, जिनमें तीन अंग्रेज़ (फिलिप स्प्रेट, वेन ब्रैडल तथा लेस्टर हचिंसन) भी थे। यह मुकदमा साढ़े तीन वर्ष चला।

दूसरा चरण

इस काल में साम्यवादी आंदोलन को संगठन और विचारधारा संबंधी प्रश्नों के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा। वर्ष 1928 के साम्यवादी अतर्राष्ट्रीय संगठन से संकेत प्राप्त कर इन्होंने भारतीय कांग्रेस के वामपंथी और दक्षिण पंथी अंगों पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। यह वही समय था, जब कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, पूर्णस्वराज का प्रस्ताव पारित किया था एवं द्वितीय सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया था।

तीसरा चरण

वर्ष 1935 में साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इससे निर्देशन प्राप्त कर वर्ष 1936 में आर.पी. दत्त और बैनब्रैडले ने 'भारत में साम्राज्यवाद विरोधी जनता का मोर्चा' नाम से निबन्ध प्रकाशित किया, उन्होंने साम्यवादियों को सुझाव दिया कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो जाएँ। इसके माध्यम से वे कांग्रेस समाजवादी दल को सुदृढ़ बनाए और जो प्रतिक्रियावादी दक्षिण पंथी लोग हैं, उन्हें कांग्रेस से निकाल बाहर करें।

चौथा चरण

द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ में साम्यवादियों ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा नीति का अनुसरण किया अर्थात् अंग्रेज़ों के साथ सहयोग न करने की नीति अपनाई तथा इस अवसर का प्रयोग भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया।

भारत सरकार ने भी इसे तुरन्त वैध संस्था घोषित कर दिया। जब अगस्त, 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का नारा लगाया, तो साम्यवादियों ने इस आन्दोलन को अन्तर्ध्वस्त करने के लिए अंग्रेज़ों की ओर से भेदियों की भूमिका निभाई।

पाँचवाँ चरण

वर्ष 1946 में उन्होंने कैबिनेट शिष्ट मण्डल के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा कि भारत को 17 पृथक प्रभुसत्तापूर्ण राज्यों में बाँट दिया जाए। जैसे कि बाल्कन में या रूसी समाजवादी सोवियत संघ में हुआ था।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1930)

गाँधीजी ने लाहौर अधिवेशन के पश्चात् अपने अगले कदम के रूप में यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित करके सरकार के समक्ष ग्यारह सूत्रीय माँगें पेश कीं तथा यह वादा किया कि यदि सरकार उन शर्तों को मान लेगी, तो सत्याग्रह की चर्चा बन्द कर दी जाएगी। इसके लिए गाँधीजी ने 31 जनवरी, 1930 तक का समय निर्धारित किया।

सरकार द्वारा पत्र का कोई सार्थक जवाब नहीं दिये जाने के विरोध में गांधीजी ने 12 मार्च 1930 के अपने 78 समर्थकों के साथ दाण्डी मार्च आरंभ कर दिया। गांधीजी ने दाण्डी समुद्रतट पर स्वयं नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया।

गाँधीजी की 11 सूत्रीय माँगें

1. रुपये की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेन्स की जाए।
2. लगान में 50% की कमी की जाए।
3. सिविल सर्विस का वेतन आधा किया जाए।
4. सैन्य खर्च 50% कम किया जाए।
5. विदेशी कपड़ों का आयात नियन्त्रित किया जाए।
6. तटीय यातायात विधेयक पास किया जाए।
7. सीआईडी विभाग समाप्त किया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो।
8. भारतीयों को आत्म-रक्षा के लिए शस्त्र रखने का लाइसेन्स दिया जाए।
9. नमक पर सरकारी इजारेदारी व नमक कर को समाप्त किया जाए।
10. नशीली वस्तुओं के विक्रय पर रोक लगाया जाए।
11. उन सब राजनैतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए जिन पर हत्या करने या हत्या के प्रयत्न का अभियोग नहीं है।

इनमें स्वराज्य का ज़िक्र नहीं था, जोकि रणनीतिक योजना थी। ब्रिटिश सरकार को ये माँगे न माननी थीं और न ही उसने मानी। अतः आन्दोलन अनिवार्य हो गया।

दाण्डी मार्च (12 मार्च–6 अप्रैल, 1930)

गाँधीजी ने 12 मार्च, 1930 को ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारम्भ की। 24 दिनों के पश्चात् यह पदयात्रा 240 मील (375 किमी.) चलकर 5 अप्रैल को डाण्डी पहुँची। 6 अप्रैल को गाँधीजी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके पश्चात् पूरे देश में नमक सत्याग्रह शुरू हो गया। सुभाषचन्द्र बोस ने गाँधीजी के डाण्डी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। 4 मई, 1930 को गाँधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया।

चित्र 20.3: दाण्डी मार्च

आन्दोलन का प्रसार

गांधीजी की गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया स्वरूप देश में हर जगह हड़तालों, प्रदर्शनों का आयोजन होने लगा। देश के अनेक भागों में किसानों ने जमीन की मालगुजारी और लगान देने से इनकार कर दिया। देखते ही देखते इस विरोध ने जनआंदोलन का रूप ले लिया।

पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने कांग्रेस तथा गाँधीजी के नेतृत्व को स्वीकार किया और पठानां के स्वभाव के विपरीत उन्हें अहिंसा के रास्ते पर चलने की सलाह दी।

धरासणा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, गाँधीजी के पुत्र मणिलाल ने किया। 21 मई, 1930 को 2000 आन्दोलनकारियों के साथ इन्होंने धरासणा नामक कारखाने पर धावा बोल दिया। यहाँ पर पुलिस ने आन्दोलनकारियों का बहुत क्रूरता से दमन किया।

मणिपुर में आन्दोलन का नेतृत्व नागा महिला गैडिनेल्यू ने किया। गैडिनेल्यू ने ब्रिटिश सेना के साथ संघर्ष किया, लेनिक वर्ष 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आन्दोलन चलाया गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रान्त एवं कर्नाटक में कड़े वन-नियमों के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया गया।

तमिलनाडु के तंजौर तट पर सी. राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की, मालाबार में के. कल्प्पन ने कालीकट से पोयान्नूर की यात्रा की।

गोलमेज सम्मेलन (Round Table Conference)

प्रथम गोलमेज सम्मेलन

साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जो 12 नवम्बर, 1930 से जनवरी, 1931 तक चला। लन्दन में सेण्ट जेम्स पैलेस में आयोजित इस सम्मेलन की

अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने की। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अब गाँधीजी तथा कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने को उत्सुक थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भागीदारी नहीं की। इसमें मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और भारतीय राजवंशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

गांधी–इरविन समझौता

तेज बहादुर सप्रू एवं एम.आर. जयकर के प्रयासों से 5 मार्च, 1931 को गांधी-इरविन समझौता सम्पन्न हुआ। गाँधी-इरविन समझौते की स्वीकृति देने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन मार्च के अन्त में ही कराची में बुलाया गया। 29 मार्च, 1931 को हुए इस अधिवेशन में गाँधी-इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गाँधीजी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी, जो लन्दन में आयोजित होनी थी।

चित्र 20.4: गोलमेज सम्मेलन

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन

7 सितम्बर, 1931 से 1 दिसम्बर, 1931 तक चलने वाले इस सममेलन में गाँधीजी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। गाँधीजी के साथ महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गाँधी, घनश्याम दास बिड़ला आदि थी। साम्प्रदायिक मसले पर कोई निर्णय न होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू (महिला प्रतिनिधि), एनी बेसेण्ट, मदन मोहन मालवीय (हिन्दू महासभा), जी.डी. बिड़ला (व्यवसायी), तेज बहादुर सप्रू, सी.वाई. चिन्तामणि (उदारवादी), जिन्ना, अली इमाम, इकबाल (मुस्लिम लीग), एस. के. दत्ता (भारतीय ईसाई), डॉ. अम्बेडकर (अछूत फेडरेशन) आदि सदस्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का सकारात्मक परिणाम न निकलने पर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया।

द्वितीय सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1932–1934)

1 जनवरी, 1932 को सविनय अवज्ञा आन्दोलन को दोबारा शुरू हुआ। आन्दोलन शुरू होने के पश्चात् चोटी के नेता गाँधीजी, नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खाँ आदि को गिरफ्तार कर सरकार ने कांग्रेस को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया। द्वितीय सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने गिरफ्तारियाँ दीं।

सुनिति चौधरी तथा शान्ति चौधरी नामक स्कूली छात्राओं ने टिपरा के जिला मजिस्ट्रेट को गोली मार दी। आन्दोलन में व्यापक हिंसा के बावजूद गाँधीजी ने इसे अचानक वापस नहीं लिया, बल्कि मई, 1933 में इसे स्थगित किया गया। अन्ततः अप्रैल, 1934 में गाँधीजी ने इसे वापस ले लिया।

साम्प्रदायिक निर्णय

भारतीय अल्पसंख्यकों की समस्या आपसी समझौते से हल न कर सकने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त, 1932 को साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (कम्युनल अवार्ड) की घोषणा की, साम्प्रदायिक निर्णय अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति का एक और प्रमाण था। साम्प्रदायिक पंचाट के अंतर्गत पृथक निर्वाचक पद्धति को मुसलमानों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों, एंग्लो इण्डियन और सिखों के अतिरिक्त हरिजनों पर भी लागू कर दिया गया।

महात्मा गाँधी ने इस साम्प्रदायिक अधिनिर्णय का विरोध करते हुए माँग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर आम निर्वाचक मण्डल के माध्यम से होना चाहिए। अपनी माँगे मनवाने के लिए गाँधी जी ने यरवदा जेल 20 सितम्बर, 1932 से आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया।

पूना समझौता (1932)

26 सितम्बर, 1932 को मदन मोहन मालवीय, सी. राजगोपालाचारी, राजेन्द्र प्रसाद तथा पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से गाँधीजी और दलित नेता डॉ. अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है।

इस समझौते के अंतर्गत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मण्डल समाप्त कर दिया गया। प्रान्तीय विधानमण्डल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई तथा केन्द्रीय विधानमण्डल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। सरकार ने पूना समझौते को साम्प्रदायिक समझौते का संशोधित रूप मानकर स्वीकार कर लिया।

तृतीय गोलमेज सम्मेलन

17 नवम्बर, 1932 को लन्दन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम, 1935 हेतु ठोस योजना के अन्तरिम स्वरूप को पेश किया गया। यह सम्मेलन 24 दिसम्बर, 1932 को समाप्त हो गया।

प्रान्तीय चुनाव (1937) (Provincial Election)

वर्ष 1935 के भारत शासन के आधार पर फरवरी, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। 11 प्रान्तों—मद्रास, केन्द्रीय मध्य प्रान्त, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रान्त, बम्बई, असम, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त, बंगाल, पंजाब एवं सिन्ध में चुनाव हुए।

कांग्रेस ने प्रातीय विधानमंडल के इस चुनाव में 5 प्रान्तों—मद्रास, संयुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। बम्बई, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिन्ध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा युनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार बनाई। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई। कांग्रेस यहाँ सबसे बड़ी पार्टी थी। सिन्ध में सिन्ध यूनाइटेड पार्टी के अधीन संयुक्त सरकार का गठन हुआ।

कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों का कार्यकाल (1937–39)

वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 7 राज्यों में सरकार बनाई। इनका शासनकाल मात्र 28 माह रहा। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केन्द्रीय नियंत्रण गठित की गई, इसे संसदीय उपसमिति नाम दिया गया। इसके सदस्य वल्लभभाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद तथा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे।

कांग्रेस का त्रिपुरी संकट (1939)

वर्ष 1938 में सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1938 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति गठित की। वर्ष 1939 में त्रिपुरी में प्रस्तावित अधिवेशन के लिए उन्होंने पुनः खड़े होने का निर्णय लिया। सरदार पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी आदि ने उनके निर्णय का विरोध किया तथा पट्टाभि सीतारमैया को अपना उम्मीदवार घोषित किया। सीतारमैया को गाँधीजी का भी समर्थन प्राप्त था। चुनाव में बोस विजयी हुए। उनकी इस जीत पर गाँधीजी ने कहा कि 'यह सीतारमैया से अधिक मेरी हार है'। बोस के अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस का कलह सतह पर आ गया। वर्किंग कमेटी के 16 में से 13 सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया। अन्ततः बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाषचन्द्र बोस के स्थान पर कांग्रेस ने राजेन्द्र प्रसाद को अध्यक्ष मनोनीत किया।

द्वितीय विश्वयुद्ध तथा कांग्रेस

द्वितीय विश्वयुद्ध 3 सितम्बर, 1939 को आरम्भ हुआ। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय जनता से विचार-विमर्श किए बिना ही भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। कांग्रेस युद्ध के समय अपना सहयोग एवं समर्थन देना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसने दो शर्तें रखीं, प्रथम युद्ध के पश्चात् संविधान सभा की बैठक आहूत की जानी चाहिए, यह संविधान सभा स्वतंत्र भारत की राजनैतिक संरचना पर विचार करेगी तथा दूसरा अतिशीघ्र केन्द्र में किसी प्रकार की वास्तविक एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। वायसराय लिनलिथगो ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

अगस्त प्रस्ताव (8 अगस्त, 1940)

द्वितीय विश्वयुद्ध में मित्र देशों की कमजोर होती स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन ने समझौतावादी नीति का अमल किया। कांग्रेस मंत्रिमण्डलों के त्याग-पत्र के पश्चात् कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में हुआ। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस इस शर्त पर सहयोग करेगी कि केन्द्र में अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार गठित की जाए। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में वायसराय लिनलिथगों ने कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया।

व्यक्तिगत सत्याग्रह (1940–41)

अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने के पश्चात् कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य युद्ध के विरुद्ध प्रचार करना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर, 1940 को पवनार आश्रम (महाराष्ट्र) से प्रारम्भ हुआ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सरदार पटेल थे। भागीदारी की सीमित प्रकृति के कारण यह आंदोलन कुछ अधिक हासिल न कर सका।

क्रिप्स मिशन (1942)

भारत के राजनैतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च, 1942 में एक मिशन भारत भेजा। जो क्रिप्स मिशन के नाम से विख्यात है। कांग्रेस ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद को इस मिशन के साथ वार्ता हेतु अपना अधिकारिक वार्ताकार नियुक्त किया।

कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गाँधीजी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधानों में युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न करना, जिसका स्तर अधिराज्य डोमिनियन हो तथा युद्ध के तत्काल बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना, जिनमें ब्रिटिश भारत और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हों आदि शामिल थे। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असफल रहा।

भारत छोड़ो आन्दोलन (1942) (Quit India Movement)

कांग्रेस कार्यसमिति ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे।

7-14 जुलाई, 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने वर्धा में एक बैठक बुलाई, जिसमें गाँधीजी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई तथा भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रस्ताव पास किया गया।

7 अगस्त, 1942 को मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसे थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 8 अगस्त, 1942 को स्वीकार कर लिया गया। गाँधीजी ने अपने ऐतिहासिक सम्बोधन में कहा 'मैं आपको एक मंत्र देता हूँ—करो या मरो'। जिसका अर्थ था हम भारत को आज़ाद कराएँगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे।

चित्र 20.5: भारत छोड़ो आन्दोलन

आन्दोलन का प्रसार

9 अगस्त, 1942 को आन्दोलन शुरू होते ही कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार नहीं हो सके (राम मनोहर लोहिया, अरूणा आसफ अली) ने गुप्त रूप से जनता को निर्देश दिए। जनता ने स्वयं नेतृत्व संभालकर जुलूस निकाला। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई।

9 अगस्त, 1942 को कांग्रेसी नेताओं के बन्दी बनाए जाने के तुरन्त बाद पहली बार कांग्रेस-रेडियो स्थापित करने का मत व्यक्त किया, राम मनोहर लोहिया, ऊषा मेहता आदि ने इसकी व्यवस्था की। कांग्रेस प्रसारण स्टेशन मुख्य रूप से बम्बई एवं नासिक से कार्य कर रहा था।

इस दौरान बलिया, तामलुक, सतारा आदि स्थानों पर समानान्तर सरकारें स्थापित की गईं। कांग्रेस के निर्देश के बावजूद यह आन्दोलन अहिंसक नहीं रह सका और व्यापक हिंसा व तोड़-फोड़ की गई। सरकार ने भी दमन का सहारा लिया।

आन्दोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गाँधीजी ने आगा खाँ पैलेस में 10 फरवरी, 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की। इससे पूरे देश में आक्रोश तीव्र हुआ। उपवास के 13वें दिन गाँधीजी की स्थिति इतनी बिगड़ गयी कि ब्रिटिश सरकार उन्हें रिहा करने के बदले उनकी मृत्यु का इन्तजार करने लगी, किन्तु इसी बीच सरकार को चकमा देते हुए गाँधीजी ने 7 मार्च, 1943 को उपवास तोड़ दिया। खराब स्वास्थ्य के कारण 9 मई, 1943 को उन्हें रिहा कर दिया गया।

मार्च, 1944 में राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से त्याग-पत्र दे दिया तथा क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात् भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ होने तथा गाँधीजी के इस आग्रह के विरोध में कि अंग्रेज़ अराजकता की स्थिति में ही भगवान भरोसे भारत छोड़ दें, एक पैम्फलेट प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने संवैधानिक गतिरोध के हल तथा लीग के साथ समझौते की संभावना तलाशने के लिए एक फार्मूला पेश किया, जिसे सी.आर. फार्मूला कहा जाता है।

सी. आर. फार्मूला (10 जुलाई, 1944)

राजगोपालचारी, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। 10 जुलाई, 1944 को उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की, जिसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं—

- मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करे तथा अस्थायी सरकार गठन में कांग्रेस के साथ सहयेागी की भूमिका अदा करे।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होने पर भारत के उत्तर-पश्चिम व पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाए, फिर वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना करके भारत से उनके सम्बन्ध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय लिया जाए।
- मतगणना के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को अपने दृष्टिकोण के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता हो।

आज़ाद हिन्द फौज और सुभाष चन्द्र बोस

आज़ाद हिन्द फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल भारतीय सैनिकों से किया था, ये वे सैनिक थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों की ओर से लड़ते हुए सिंगापुर के पतन के पश्चात् जापान के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया था। 21 अक्टूबर, 1943 को रास बिहारी बोस व कैप्टन मोहन सिंह की पहल पर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को इस सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया।

21 अक्टूबर, 1943 को सुभाषचन्द्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, सुभाषचन्द्र बोस ने अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून को बनाया। जर्मनी तथा जापान ने अस्थायी सरकार का समर्थन किया।

सुभाषचन्द्र बोस ने रानी झाँसी रेजीमेण्ट महिलाओं के लिए स्थापित की। आज़ाद हिन्द फौज की तीन और ब्रिगेड का नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड व गाँधी ब्रिगेड रखा गया। सैनकों का आह्वान करते हुए सुभाषचन्द्र बोस ने कहा कि हमने बहुत त्याग किया है, किन्तु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है, 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा'।

नवम्बर में जापनी सेना ने आज़ाद हिन्द फौज को अण्डमान और निकोबार द्वीप सौंप दिए। बोस ने अण्डमान एवं निकोबार का नाम 'शहीद' और 'स्वराज द्वीप' रखा।

मार्च, 1944 में आज़ाद हिन्द फौज की तीनों ब्रिगेड ने जापानी सेना के नेतृत्व में भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से बर्मा (म्यांमार) की

सीमाओं को पार कर उत्तर-पूर्वी भारत के क्षेत्र कोहिमा और नागालैण्ड पर घेरा डाल दिया। यह घेरा करीब एक वर्ष तक चला।

मई, 1945 में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर पुन: अधिकार कर लिए जाने के बाद आज़ाद हिन्द के सिपाहियों को जापानी सेना के साथ आत्मसर्पण करना पड़ा।

आज़ाद हिन्द फौज पर मुकदमा

वर्ष 1945 में आज़ाद हिन्द फौज के सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ (सरकार के प्रति) तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने आज़ाद हिन्द फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिन्द बचाव समिति की स्थापना की।

बचाव पक्ष के वकीलों में भूलाभाई देसाई प्रमुख थे, उनका सहयोग करने के लिए तेजबहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की। आज़ाद हिन्द फौज के सिपाही सरदार गुरूबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शहनवाज पर मुकदमा चलाया गया। जिसमें इन्हें फाँसी की सजा सुनाई गई, किन्तु भारी विरोध के कारण वायसराय को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इन तीनों की फाँसी की सजा माफ करने के के लिए विवश होना पड़ा।

वेवेल योजना (1945)

अक्टूबर, 1945 में लिनलिथगो की जगह वेवेल वायसराय बने, इन्होंने शान्ति लाने के उद्देश्य से कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को रिहा कर दिया। 4 जून, 1945 को वेवेल ने एक योजना रखी। जिसमें निम्न बातें थीं—

- केन्द्र में नई कार्य परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा।
- कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या सवर्ण हिन्दुओं के बराबर होगी।
- कार्यकारिणी परिषद एक अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर-जनरल बिना कारण विशेषाधिकार (विटो) का प्रयोग नहीं करेगा।
- सभी राजनैतिक दलों की एक सम्मिलित सभा बुलाई जाएगी, ताकि कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए एक सर्वसम्मत सूची प्रस्तुत की जा सके।

शिमला सम्मेलन

- वायसराय वेवेल ने 25 जून, 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इसमें 21 भारतीय राजनीतिज्ञों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के तौर पर जिन्ना शामिल हुए।
- वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी में 14 सदस्य रखने का निर्णय लिया। 5 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग तथा 4 अन्य सदस्य थे। कांग्रेस द्वारा मौलाना अबुल कलाम को भी चुना गया, लेकिन जिन्ना ने कांग्रेस द्वारा मुस्लिम सदस्य चुनने का विरोध किया।
- प्रस्ताव के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी में सेना प्रमुख (वायसराय) के अलावा बार मेम्बर सहित सभी पद भारतीयों द्वारा धारण किए जाने थे।
- सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य, मुस्लिम लीग से ही लिए जाएँ, क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। यही सम्मेलन की असफलता का कारण बना।

भारत में आम चुनाव

ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी की पराजय के बाद लेबर पार्टी के नेता क्लीमेण्ट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सर पैथिक लॉरेन्स को भारत का सचिव नियुक्त किया। एटली ने अपनी पहली कार्यवाही के तहत भारत में आम-चुनाव करवाया। दिसम्बर, 1945 में चुनाव परिणाम घोषित किए गए।

केन्द्रीय विधानमण्डल की 102 सीटों में कांग्रेस 57 सीटों पर सफल हुई। प्रान्तीय चुनावों में कांग्रेस को बंगाल, सिन्ध और पंजाब के अलावा शेष स्थानों पर बहुमत प्राप्त हुआ। केन्द्रीय विधानमण्डल में मुसलमानों के लिए आरक्षित सभी 30 सीटों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली। मुस्लिम लीग को केवल बंगाल और सिन्ध में ही बहुमत मिला।

शाही नौ-सेना में विद्रोह (1946)

18 फरवरी, 1946 को रॉयल इण्डियन नेवी के गैर-कमीशण्ड अधिकारियों एवं सैनिकों ने नस्लीय भेद-भाव तथा खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। यह विद्रोह बम्बई के नौ-सैनिक प्रशिक्षण पोत तलवार (7700 सैनिकों) पर किया गया था। नौ-सेना विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी, 1946 को बम्बई में अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन हुआ। इसमें 20 लाख मजदूरों ने भाग लिया।

पटेल और जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। 24 फरवरी, 1946 को विद्रोहियों ने यह कहते हुए आत्मसमर्पण किया कि 'हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं'।

कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission) (1946)

जनवरी, 1946 ब्रिटेन लेबर पार्टी के नेता एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल को भारत भेजने का निर्णय लिया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। 29 मार्च, 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में थे—सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेण्डर तथा पैथिक लॉरेन्स। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के संदर्भ में विचार-विमर्श करना था।

कैबिनेट मिशन के मुख्य बिन्दु

कैबिनेट मिशन के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित थे—

- भारत एक अधिराज्य होगा, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रान्त और देशी राज्य दोनों शामिल होंगे। एक संघीय सरकार गठित होगी जिसमें विदेशी मामले, प्रतिरक्षा तथा संचार साधन केन्द्रीय सरकार के अधीन होंगे। प्रान्तों को स्वायत्तता दी जाएगी।

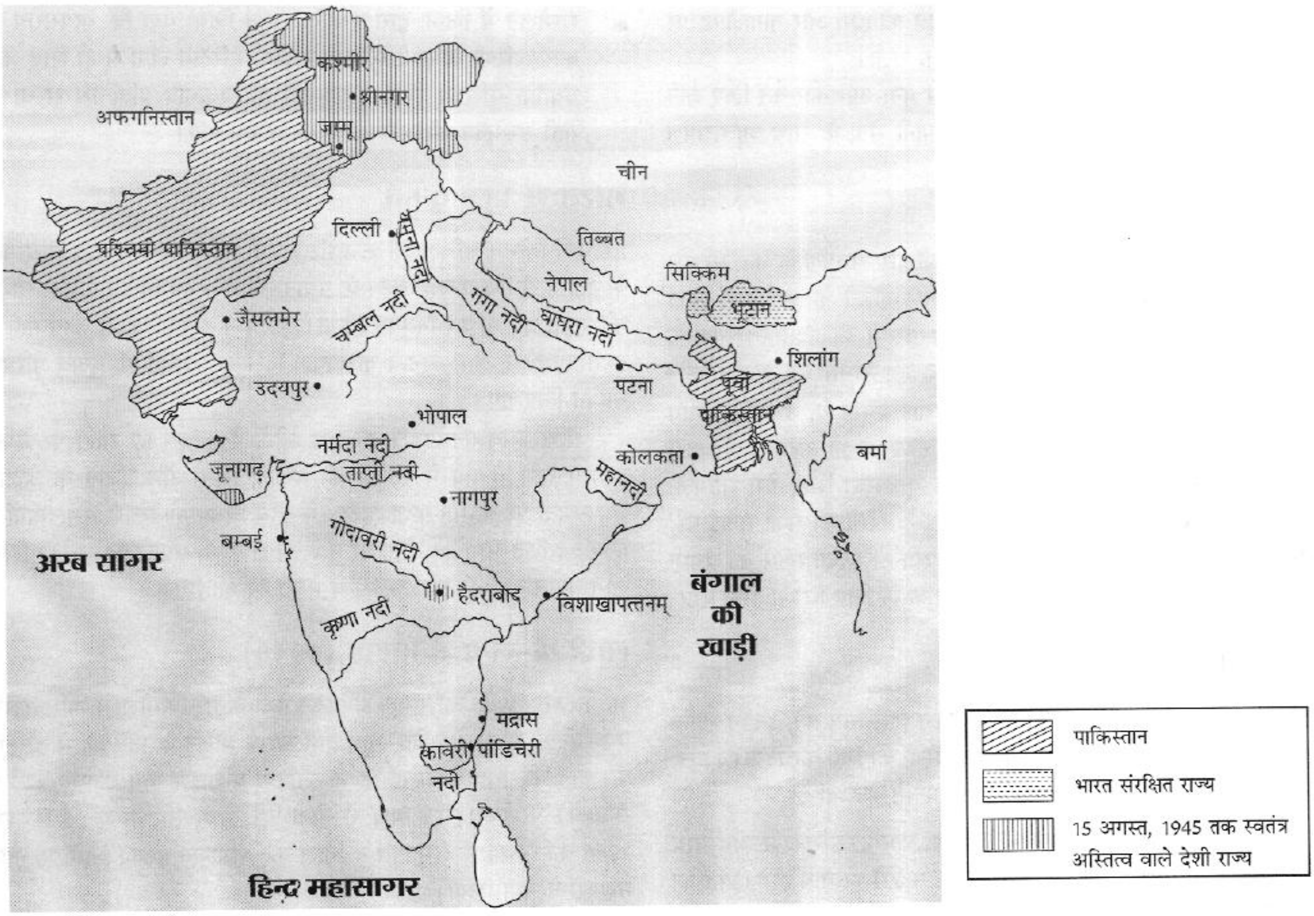

चित्र 20.6: 1947 भारत

- मुस्लिम लीग की पाकिस्तान माँग को इस आधार पर ठुकरा दिया गया था कि इससे साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा।
- संघीय विषयों को छोड़कर शेष विषय और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों में निहित होंगी। ऐसी रियासतें जो विषय तथा शक्तियाँ संघ को सौंप दें, उनके अतिरिक्त अन्य सभी विषय तथा शक्तियाँ उनके पास सुरक्षित रहेंगी।
- संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रान्तीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनधियों के द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रान्त को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सामान्यतया दस लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में सीटों की कुल संख्या आवण्टित की जाएगी।
- 6 जून, 1946 को मुस्लिम लीग ने तथा 24 जून, 1946 को कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। परंतु मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई, 1946 को मिशन के प्रस्तावों का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए सीधी कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की।

अन्तरिम सरकार का गठन (2 सितम्बर, 1946)

कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद अगस्त, 1946 को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अन्तरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 20 नवम्बर, 1946 को लॉर्ड वेवेल ने संविधान सभा की प्रथम बैठक के सदस्यों को आमंत्रित किया। 9 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉ.सच्चिदानन्द सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ-राजेन्द्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसम्बर को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय राजनैतिक दलों के आपसी मतभेद, संविधान सभा के कार्यों में योजनाबद्ध तरीके से बाधा डालते हैं। इस राजनैतिक अनिश्चितता को देखते हुए जून 1948 तक राजसत्ता भारत के जिम्मेदार लोगों को सौंप दी जाएगी।

माउण्टबेटन योजना

वेवेल के स्थान पर 24 मार्च, 1947 को माउण्टबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। 3 जून को माउण्टबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार—

- 15 अगस्त, 1947 से भारत में दो अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी और सभी शक्तियाँ इन्हें हस्तांतरित कर दी जाएँगी।
- भारतीय रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की छूट दी गई, लेकिन स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया।
- उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह के द्वारा पता लगाया जाएगा कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं।

कांग्रेस की कार्य समिति ने माउण्टबेटन की योजना को 3 जून, 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 14 जून को कांग्रेस की महासमिति की बैठक में गोविन्द वल्लभ पन्त ने देश के विभाजन की माउण्टबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

(Indian Independence Act, 1947)

आधुनिक भारत के इतिहास में 1947 ई. के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विशेष महत्व है। माउण्टबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को यह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा स्वीकृत किया गया तथा 16 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस अधिनियम के आधार पर 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गए। मुहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। भारत में लॉर्ड माउण्टबेटन प्रथम गवर्नर जनरल तथा पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही विभाजन का भी प्रावधान किया।

भारतीय रियासतों का एकीकरण

वर्ष 1947 में ब्रिटिश पार्लिमेंट में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। जिसमें भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया था कि वे भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो जाएँ।

तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल तथा वी. पी. मेनन के प्रयासों से 15 अगस्त, 1947 तक 136 रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए। अन्य रियासतों ने दबाव के बाद विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया। जम्मू-कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करना नहीं चाहते थे।

अध्याय सार संग्रह

- एलन ऑक्टोवियन ह्यूम नामक एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर, 1885 को बंबई में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना की।
- 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच का जन्म हुआ । इसी के साथ विदेशी शासन से भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष एक संगठित रूप से प्रारंभ हुआ।
- बंगाल विभाजन की घोषणा 29 जुलाई 1905 को की गई। यह 16 अक्टूबर, 1905 को लागू हुआ। राष्ट्रीय नेताओं ने विभाजन को भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती समझा।
- बंगाल के नेताओं ने इसे क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर बाँटने का प्रयास माना। अत: इस विभाजन का व्यापक विरोध हुआ तथा 16 अक्टूबर को पूरे देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया।
- 1885-1905 ई. तक कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभाव था। इनमें दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, गोपालकृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि प्रमुख थे।
- इन नेताओं को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता का विश्वास था। ये अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने भाषणों, लेखों, प्रतिवेदनों के माध्यम से रखते थे।
- इस तरह आरम्भिक उदारवादी नेताओं ने अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक मांगों का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखकर किया कि भारत की जनता को एक साझे आर्थिक व राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर संगठित किया जा सके।
- दादाभाई नौरोजी ने 1881 ई. में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे-धीरे ही सही, पर समूल रूप से देश को नष्ट कर रहा है।
- आरंभिक उदारवादी नेता दादाभाई नौरोजी द्वारा दिया गया धन धन-निष्कासन का सिद्धांत, रानाडे द्वारा आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को जनता के समक्ष रखने तथा रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश सरकार के साम्राज्यवादी मुखौटे को जनता के समक्ष रखा।

- अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के उद्देश्य से दादाभाई नौरोजी ने 1887 ई. में ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा 1888 ई. में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में 'ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया' की स्थापना की गई।
- उग्रवादी चरण के नेताओं में बालगंगाधर तिलक का नाम अविस्मरणीय है। इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा दिया।
- तिलक ने जनता को साहसी, स्वावलंबी एवं नि:स्वार्थ योद्धा बनने का पाठ पढ़ाया। इन्होंने 1893 ई. में गणपति उत्सव तथा 1895 ई. में शिवाजी उत्सव के द्वारा लोगों में राष्ट्रवादी भावना को भरने का प्रयास किया।
- इसके अतिरिक्त रूस, आयरलैंड, मिस्र, तुर्की तथा जापान के क्रांतिकारी आंदोलनों तथा दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध ने भारतीयों के अंदर यह आत्मविश्वास भर दिया कि अगर देश की जनता एकजुट हो तथा बलिदान करने के लिये तैयार हो जाए तो विदेशी शासन से मुक्ति पाई जा सकती है।
- देशी समाचार पत्रों ने भी उग्रवादी विचारधारा के विकास में अपना सहयोग दिया। बंगवासी, केसरी तथा काल जैसे समाचार पत्रों ने कांग्रेस के उदारवादी चरण की कार्यपद्धति की काफी आलोचना की।
- हिंदू धर्म के पुनरूत्थान हेतु किये गए प्रयासों ने भी भारतीय जनमानस में आत्मसम्मान की भावना को जागृत किया। इस कार्य से जुड़े राजनीतिक नेताओं ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति की तुलना में श्रेष्ठ माना।
- 1914 में प्रथम विश्व-युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार के युद्ध प्रयासों में सहयोग का निश्चय किया।
- इसके लिए एक वास्तविक राजनीतिक जन आंदोलन की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा कोई जन-आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में संभव नहीं था, क्योंकि यह नरमपंथियों के नेतृत्व में एक निष्क्रिय और जड़ संगठन बन चुकी थी। इसलिए 1915-16 में दि होमरूल लीग की स्थापना हुई।
- होमरूल लीग के आन्दोलन के कारण तिलक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया जिसके चलते जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों ने तिलक का मुकदमा लड़ा और जून, 1917 ई. एनी बेसेन्ट, जॉर्ज अरूंडेल एवं वी.पी. वाडिया की गिरफ्तारी से नाराज़ होकर सुब्रह्मण्यम् अय्यर ने अपनी नाईट की उपाधि का त्याग कर दिया।
- होमरूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे जुझारू योद्धाओं के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात सिंध, मद्रास आदि क्षेत्रों में भी राष्ट्रवादी आन्दोलन की लहर दौड़ गयी।
- भारतीय होमरूल का गठन आयरलैण्ड के होमरूल लीग के नमूने पर किया गया, जो तत्कालीन परिस्थितियों में तेज़ी से उभरती हुई, प्रतिक्रियात्मक राजनीति के नये स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इस नये स्वरूप के नेतृत्वकर्त्ता थे।
- होमरूल आंदोलन के दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा 'होमरूल या स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा' दिया था।
- सितम्बर 1916 में एनी बेसेन्ट ने अपने लीग का सचिव जार्ज अरूडेल को बनाया और अन्य सहयोगी वी.पी. वाडिया और सी.पी. रामास्वामी अययर थे।
- होमरूल लीग के आन्दोलन के कारण तिलक को पुलिस द्वारा गिफ्तार कर लिया गया जिसके चलते जिले के नेतृत्व में वकीलों ने तिलक का मुकदमा लड़ा और जून 1917 ई. एनी बेसेन्ट जॉर्ज अरूंडेल एवं वी.पी. वाडिया की गिरफ्तारी से नाराज़ होकर सुब्रह्मण्यम् अय्यर ने अपनी 'नाइट' की उपाधि का त्याग कर दिया।
- 1917 का वर्ष होमरूल के इतिहास में एक मोड़ बिन्दु था। जून में एनी बेसेंट तथा उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लेने के पश्चात् आंदोलन अपने चरम पर था।
- सितम्बर 1916 में भारत सचिव माण्टेग्यू की घोषणा, जिसमें होमरूल का समर्थन किया गया था, ने इस आंदोलन में एक और निर्णायक मोड़ ला दिया।
- वर्ष 1914 में तिलक, माण्डले जेल से लौटने के बाद समझौतावादी हो गए थे, उन्होंने तथा एनी बेसेंट ने मिलकर कांग्रेस के दोनों गुटों को नज़दीक लाने का प्रयास किया।
- देश में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा के कारण 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व की दो घटनाएं हुईं। पहली यह कि कांग्रेस के दोनों धड़े फिर से एक हो गए।
- प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति पर, जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों की उम्मीद कर रही थी तो ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी 'रौलेट एक्ट' को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया।
- रौलेट एक्ट के द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए और दंड दिए बिना ही जेल में बंद कर सके। इसलिए ही इसे बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया।
- 1919 में रौलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहली बार एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया।
- सरकार इस जन-आंदोलन को कुचल देने पर उतारू थी। उसने निहत्थे प्रदर्शनकारियों को ऐसे कुचलने का प्रयास किया, जिसने दमन के इतिहास में नये अध्याय जोड़े हैं। दमनात्मक नीतियों तथा डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल जैसे लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियावाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया।
- जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना माना तथा सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के शांतिपूर्ण ढंग से चल रही सभा पर गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया।

- इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तथा जनता पर अत्याचार किये गये।
- इस घटना के विरोध में रवीन्द्र नाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई 'नाइटहुड' की उपाधि वापस कर दी तथा सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया।
- 24 नवम्बर, 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की।
- मई 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने अपने कार्यक्रम में सरकार के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाई।
- दिसम्बर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में स्वराज के साथ खिलाफत का प्रश्न भी जोड़ दिया गया।
- 5 फरवरी, 1922 को चौरी-चौरा नामक गाँव में 3000 किसानों के एक कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। किसानों की क्रुद्ध भीड़ ने थाने पर हमला करके थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस कर्मी मारे गए।
- गांधी जी चूंकि हिंसा में विश्वास नहीं करते थे इसलिए उन्होंने 12 फरवरी, 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लेने का निर्णय लिया।
- 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष डॉ. अन्सारी थे एवं साथ ही मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा ने इस आयोग का बहिष्कार में एक जुट होकर समर्थन किया।
- इसके साथ में तेजबहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस भी इस बहिष्कार आंदोलन में सम्मिलित हो गयी।
- 1919 के अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि दस वर्षों के पश्चात् माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा तथा उसमें परिवर्तन की संभावनाओं की जाँच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इस प्रावधान के तहत 1929 में एक आयोग की नियुक्ति की जानी थी।
- तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविन ने निर्धारित समय से दो वर्ष पूर्व 8 नवंबर, 1927 को इण्डियन स्टेट्युटरी आयोग की नियुक्ति कर दी। सात सदस्यता वाले इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिसके नाम पर यह साइमन आयोग के नाम से विख्यात हुआ।
- कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इस आयोग के बहिष्कार का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 3 फरवरी, 1928 को साइमन आयोग भारत आया। इस आयोग में कोई भी भारतीय नागरिक शामिल नहीं था, अत: इसका विद्रोह किया गया तथा भारत आने पर देश के सभी प्रमुख नगरों में हड़तालों एवं जुलूसों का आयोजन किया गया।
- नेहरू रिपोर्ट (1928) नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने हेतु 1928 ई. में लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की। जवाहर लाल नेहरू में युवा एवं उग्रवादी राष्ट्रवादियों इस रिपोर्ट में स्वायत्तशासी डोमिनियम पद्धति की मांग पर आपत्ति जतायी और पूर्ण स्वराज की वकालत की तथा 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित हुआ।
- डॉ. मुख्तार अहमद अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन 19 मई, 1926 को किया गया। इस सम्मेलन के अंत में मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई।
- इस समिति ने 10 अगस्त, 1928 को लखनऊ में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन में अपने, संविधान का प्रारूप पेश किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है।
- गांधी जी ने 31 जनवरी, 1930 को लार्ड इरविन के समक्ष अंतिम चेतावनी के रूप में अपनी 11-सूत्री माँग रखी, जिसे अस्वीकार किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी।
- लार्ड इरविन द्वारा 11-सूत्री माँगों को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद गांधी जी के समक्ष आंदोलन शुरू करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था।
- गांधी जी ने 12 मार्च, 1930 को अपने चुने हुए 78 स्वयं सेवकों के साथ डांडी के लिए यात्रा शुरू की। 24 दिनों में डांडी पहुँचकर महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया।
- 5 मार्च, 1931 को गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी-इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है।
- सितंबर 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे 'पूना समझौता' के नाम से जाना जाता है।
- इस समझौते में सभी अल्पसंख्यक समुदायों हरिजनों, मुसलमानों, सिखों आदि के लिए संघीय विधान परिषद् में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी।
- 7 नवम्बर, 1933 ई. को गांधी जी ने वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरम्भ की और अपने हरिजनोत्थन आंदनोलन के दौरान गांधी जी ने दलितों के संबंध में दो मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
- गांधी जी, उस समय यरवदा जेल में बंदी थे, उन्होंने ने इसे भारतीय एकता तथा राष्ट्रवाद पर चोट की संज्ञा दी। उन्होंने इस निर्णय को वापस न लिए जाने की स्थिति में 20 सितंबर, 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया।
- इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक् निर्वाचक मंडल की व्यवस्था वापस ले ली गयी।
- पूना समझौते के सांप्रदायिक निर्णय द्वारा हिंदुओं से हरिजनों को पृथक् करने के सरकारी प्रयास को विफल कर दिया गया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के अनुकूल सरकार ने प्रांतों में फरवरी 1937 में चुनाव कराने की घोषणा की।
- फरवरी 1937 में संपन्न हुए चुनावों में यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई कि जनता का एक बड़ा भाग कांग्रेस के साथ है।

- 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की। ग्यारह में से सात प्रांतों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
- जुलाई 1937 में ग्यारह में से सात प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित हुए। बाद में कांग्रेस ने दो प्रांतों में साझी सरकारें भी बनाई। केवल बंगाल और पंजाब में ही गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके।
- 3 सितंबर, 1939 को वायसरॉय लिनलिथगो ने प्रांतीय मंत्रिमंडलों या राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के नेताओं की सलाह लिए बिना एकतरफा तौर पर भारत को जर्मनी के साथ ब्रिटेन के युद्ध में झोंक दिया।
- इस एकतरफा निर्णय के विरोध में 29-30 अक्टूबर, 1939 को प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपने 28 महीने के शासन के पश्चात् त्यागपत्र दे दिया।
- 1936 ई. के प्रारंभ में लखनऊ तथा इस साल के अंतिम महीने में फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी गुटों ने चुनाव में भाग लेने पर अपनी सहमति दे दी।
- प्रांतीय विधानमंडल के इस चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ये 5 प्रांत थे—मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा।
- जुलाई, 1937 ई. में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार गठित की। ये प्रांत थे-मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा एवं बंबई।
- संयुक्त प्रांत तथा बिहार में 1939 ई. में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया।
- कांग्रेस मंत्रिमण्डल के त्यागपत्र देने के पश्चात् भीमराव अंबेडकर तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर 22 दिसम्बर, 1939 ई. को मुक्ति दिवस मनाया।
- युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त, 1940 को वायसरॉय लिनलिथगो ने एक घोषणा की, जिसे 'अगस्त प्रस्ताव' के नाम से जाना जाता है।
- वेवेल योजना और शिमला समझौता, दोनों के विफल हो जाने के पश्चात् भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया।
- इस शिष्टमंडल में तीन सदस्य थे-पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए. वी. अलेक्जेंडर। यह शिष्टमंडल 24 मार्च, 1946 को दिल्ली पहुँचा।
- भारत के विभिन्न राजनैतिक दलों से लंबी बातचीत के बाद सरकार, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच त्रिपक्षीय सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया।
- कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उसका उद्देश्य किसी संविधान का निर्धारण करना नहीं है बल्कि उस तंत्र को सक्रिय बनाना है, जिसके द्वारा भारतीयों के लिए संविधान तय किया जा सके।
- जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में उनके ग्यारह सहयोगियों के साथ 2 सितंबर, 1946 को 'अंतरिम सरकार का गठन' किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए।
- मुस्लिम लीग ने कांग्रेस लीग की समानता पर बल दिया। ऐसा न करने पर उसने कैबिनेट मिशन योजना को ठुकरा दिया।
- आरम्भ में मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल नहीं हुई थी परंतु वायसरॉय के प्रयासों से वह 26 अक्टूबर, 1946 को सरकार में शामिल हुई। सरकार में उसके पाँच सदस्य थे—लियाकत अली, गजनफर अली, चन्द्रीगर, अब्दुल, खनश्तर तथा योगेन्द्र नाथ मांडल।
- कांग्रेस-लीग टकराव संविधान सभा की बैठक में लीग के भाग न लेने तथा उसके द्वारा चलाए जा रहे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणामस्वरूप भारत में दंगे विकराल रूप धारण करते जा रहे थे।
- राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मंत्री क्लीमेन्ट एटली ने 20 फरवरी, 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी।
- इसी घोषणा के तहत सत्ता का सफलतापूर्वक हस्तांतरण करने के लिए लार्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया।
- मार्च, 1947 में लॉर्ड माउन्टबेटन को भारत का वायसरॉय बनाकर भेजा गया। लॉर्ड माउन्टबेटन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बँटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार की जिसे 'माउन्टबेटन योजना' के नाम से जाना जाता है।
- माउन्टबेटन द्वारा इस योजना की घोषणा 3 जून, 1947 को की गई, जिसमें हस्तांतरण प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा दोनों मुख्य संप्रदायों का समायोजन करने के लिए देश को दो भागों-भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का परामर्श दिया गया।
- कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने इस योजना को अपनी स्वीकृति दे दी। इसके उपरांत ब्रिटिश संसद में इस योजना को कार्यरूप देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया।
- माउन्टबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक 4 जुलाई, 1947 को प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक 18 जुलाई, 1947 को 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम' के रूप में पारित हुआ।
- इस अधिनियम द्वारा 15 अगस्त, 1947 को भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियनों-भारत तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर-जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने तथा भारत के लिये माउन्टबेटन को ही गवर्नर-जनरल बने रहने को कहा गया।